हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 69

शुक्रवार, 28 फरवरी, 2020/9 फाल्गुन,1941(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न काल आरम्भ होने की घोषणा से पहले ही श्री जगत सिंह नेगी ने नियम-67 के अंतर्गत उनके द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना के दृष्टिगत उस पर चर्चा कराए जाने का विषय उठाया।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने निम्नलिखित व्यवस्था दी-

"आज दिनांक 28.02.2020 को 10.12 बजे पूर्वाह्न श्री जगत सिंह नेगी, माननीय सदस्य की ओर से नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जो कि मण्डी जिला के शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय मेले के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खाने में भेदभाव व अत्याचार से संबंधित है। यह सूचना 10.12 बजे पूर्वाह्न प्राप्त हुई है जबकि नियमानुसार

यह सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से एक घंटा पहले प्राप्त होनी चाहिए थी।

अतः यह प्रस्ताव निश्चित समयावधि के भीतर में प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने इस विषय पर विचारोपरांत पाया कि हिमाचल प्रदेश प्रक्रिया एंव कार्य संचालन नियामावली के नियम-67 के अंतर्गत यह उचित नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य इस विषय पर नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं। परंतु यह विषय महत्वपूर्ण है इसलिए आप संक्षेप में अपनी बात रख सकते हैं।"

श्री जगत सिंह नेगी ने मण्डी जिला के शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय मेले के दौरान मण्डी जिला के शिव रात्रि अंतर्राष्ट्रीय मेले के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खाने में हुए भेदभाव व अत्याचार से संबंधित विषय उठाया।

जल शक्ति मंत्री ने घटना के बारे में सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई बारे वक्तव्य दिया-

(जल शक्ति मंत्री के उत्तर से सहमत न होते हुए कांग्रेस विधायक दल ने नारेबाजी करते हुए 11.00 बजे पूर्वाह्न सदन से बहिर्गमन किया।)

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 1303 (स्थगित) पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1385 (स्थगित) तथा 2346 व 2352 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा जल शक्ति मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2345, 2347 से 2349 व 2351 व 2353 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2354 से 2393 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 420, 756 व 799 (स्थगित) तथा 829 से 846 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री** ने बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री** ने कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड मेनेजमैंट एण्ड प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा) का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी -

निम्नलिखित ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लियाः-

1. **श्री राजेश ठाकुर**
2. **श्री सुन्दर सिंह ठाकुर**
3. **श्री नरेन्द्र ठाकुर**
4. **श्री राकेश सिंघा**

01.12 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.10 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

भोजनावकाश के उपरान्त 02.14 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

5. **श्री किशोरी लाल**
6. **श्री राम लाल ठाकुर**

श्री राम लाल ठाकुर द्वारा राजधानी शिमला तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में हुए भवन निर्माण की One Time Settlement के बारे में मामला उठाए जाने पर जल शक्ति मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। जल शक्ति मंत्री ने श्री राम लाल ठाकुर द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिलासपुर में हुई निविदा का मामला उठाए जाने पर भी विषय में स्थिति स्पष्ट की।

7. **श्रीमती रीना कश्यप**
8. **श्री लखविन्द्र सिंह राणा**
9. **श्री जिया लाल**
10. **श्री मोहन लाल ब्राक्टा**

श्री मोहन लाल ब्राक्टा द्वारा पब्बर नदी तटीयकरण का विषय उठाए जाने पर जल शक्ति मंत्री ने मामले में स्थिति स्पष्ट की।

04.08 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, 02 मार्च, 2020 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई ।